न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–65/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नरेश सिंह पुत्र स्व0 जनक सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर वारिस मृतक जनक सिंह पुत्र किशोर सिंह ।
.....वादी अपीलांट

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र स्व0 छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर।
.....वादी असल रेस्पोडेण्ट
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।
.....तकमीली प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गणपत सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री बाबूसिंह राघव, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–10.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ में एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 66 रकबा 0.01, 67 रकबा 0.27, 68 रकबा 0.26 है0 किता 3 रकबा 0.54 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसका 1/2 भाग वाद में विवादित है। विवादित आराजी का मिन वादी रेस्पो0 के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह काबिज खातेदार काश्तकार रहा एवं मौके पर काबिज रहकर कार्यकाश्त करते चले आ रहे थे एवं उन्ही की सहमति से उनके जीवनकाल से बदस्तूर मिन वादी रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्तकार कार्य काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी रेस्पो0 के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह की मृत्यु होने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 50 दिनांक 17.06.1973 मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह के जायज व कानूनी

जायंदा पुत्र मिन वादी के पक्ष में सही प्रकार से तस्दीक हुआ है। वादी निश्चिन्त रहा कि मुताबिक इन्तकाल विरासत कायम जमाबंदी आदि वादी का नाम सही इन्द्राजात हो गये होंगे। असल प्रतिवादी जनकसिंह के पिता किशोरसिंह जो बलदेव सिंह का पुत्र है बेहद चालाक शख्स रहा है वो राजस्व विभाग, सैटलमेंट विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से साठगांठ रखता था। उसने उनसे मिल्लत कर खुद को मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह का वारिस बताते हुये बाले बाले वादी रेस्पो0 किशनसिंह के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम किशोर सिंह पुत्र छोटूसिंह दर्ज करा लिया। इस प्रकार राजस्व विभाग/सैटिलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने विरासत इन्तकाल की भी अनदेखी करके गलत इन्द्राज कर दिया गया। गलत इन्द्राजात कायम रहने से वादी के हकूक जायल होते हैं। तहत अदालत द्वारा उक्त वाद वादी रेस्पो0 स्वीकार किया जाकर डिक्री दिनांक 09.08.2019 पारित किया है। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर अपीलांट द्वारा अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने व बिना तामील के फर्जी तामील के आधार पर दावा डिक्री किया है जिस निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को नही थी। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को 09.10.2019 को हुई। अतः जानकारी होने पर अविलम्ब अपील पेश की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने व बिना तामील के फर्जी तामील के आधार पर दावा डिक्री किया गया है। मिन अपीलांट नरेश सिंह ने कभी कोई सम्मन नही लिया ना ही किसी सम्मन पर दस्तखत किये बल्कि रेस्पो0 संख्या 01 किशनसिंह व तामील कुनन्दा ने आपस में मिलकर फर्जी तामील की है तथा मिन अपीलांट नरेश सिंह के फर्जी दस्तखत सम्मन पर बनाये गये हैं। जबकि तामील कुनन्दा मिन अपीलांट के पास कभी सम्मन लेकर ही नही आया।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फर्जी तामील के आधार पर अपीलांट की एक्स पार्टी कर दावा गलत तौर से डिक्री फरमाया है। आराजी खसरा नंबर 66 रकबा 0.01 है0, 67 रकबा 0.27 है0, 68 रकबा 0.26 है0, वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ के 1/2 भाग का अपीलांट का पिता जनकसिंह पुत्र किशोरसिंह रिकार्डेड काबिज काश्तकार खातेदार था जो आराजी जनकसिंह को किशोरसिंह से विरासत से प्राप्त हुई थी और जनकसिंह के बाद मिन अपीलांट आज भी उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काबिज है। उक्त आराजी से रेस्पो0 किशन सिंह का कभी कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नही रहा ना है। किशोर सिंह का इन्तकाल जो जनकसिंह के हक में इंतकाल संख्या 150 दिनांक 14.05.1981 को दर्ज हुआ है, वो सही था व सही है। मिन अपीलांट को उक्त दावे की पत्रावली मं ना तो सुनने का मौका दिया गया ना ही सुना गया बल्कि फर्जी तामील के आधार पर दावा डिक्री किया गया है कि जिससे अपीलांट स्वच्छ न्याय से वंचित रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि तहत न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील हुई है। अपीलांट के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही होने पर एक्स पार्टी की गई है। उक्त विवादित आराजी से संबंधित रेस्पो0 एकमात्र वारिस किशनसिंह के नाम इंतकाल दर्ज हुआ जो 17.06.1973 का है। विवादित आराजी का मिन वादी रेस्पो0 के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह काबिज खातेदार काश्तकार रहा एवं मौकें पर काबिज रहकर कार्यकाश्त करते चले आ रहे थे एवं उन्ही की सहमति से उनके जीवनकाल से बदस्तूर मिन वादी रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्तकार कार्य काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी रेस्पो0 के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह की मृत्यु होने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 50 दिनांक 17.06.1973 मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह के जायज व कानूनी जायंदा पुत्र मिन वादी के पक्ष में सही प्रकार से तस्दीक हुआ है। वादी निश्चिन्त रहा कि मुताबिक इन्तकाल विरासत कायम जमाबंदी आदि वादी का नाम सही इन्द्राजात हो गये होंगे। असल प्रतिवादी जनकसिंह के पिता किशोरसिंह जो बलदेव सिंह का पुत्र है बेहद चालाक शख्स रहा है वो राजस्व विभाग, सैटलमेंट विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से साठगांठ रखता था। उसने उनसे मिल्लत कर खुद को मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह का वारिस बताते हुये बाले बाले वादी रेस्पो0 किशनसिंह के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम किशोर सिंह पुत्र छोटूसिंह दर्ज करा लिया। इस प्रकार राजस्व विभाग/सैटिलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने विरासत इन्तकाल की भी अनदेखी करके गलत इन्द्राज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 09.08.2019 का अवलोकन किया।

तामील के संबंध में न्यायालय की आदेशिका एवं तामील का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के कायमी तनकी नोटिस दिनांक 04.04.2019 में 18.04.2019 की तारीख नियत है। नोटिस नरेश पुत्र जनकसिंह राजपूत के नाम है। तामील कुनिंदा द्वारा "नरेश पुत्र जनकसिंह घर पर नही मिला एक प्रति नोटिस खुले मकान पर चस्पा किया" का अंकन है। उक्त तामील प्रतिस्थापित तामील है। बिना अदालत के विधिवत आदेश के प्रतिस्थापित तामील कराने का अधिकार तामील कुनिंदा को नही है। प्रतिस्थापित तामील, तामील कुनिंदा द्वारा शपथ पत्र द्वारा तस्दीक किये जाने पर ही विधि ग्राह्य है। तहत अदालत द्वारा इसको अनदेखा कर विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अपील मीमो में भी अपीलांट नरेश सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का अंकन किया है कि अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर तामील पर बनाकर दावा एकतरफा डिक्री किया है। यदि अपील मीमो पर अंकित नरेश सिंह के हस्ताक्षर और मूल वाद में जारी जनकसिंह के नोटिस पर अंकित नरेश सिंह के हस्ताक्षर का मिलान करते है तो प्रथमदृष्टया ही सामान्य समझ से हस्ताक्षर काफी भिन्न हैं।

आरबीजे(17) 2010 पेज 396 में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4813/1996 में भी यही मत व्यक्त किया गया है कि sec 225- "Appellate court has the power to exmine the service of notice" चूंकि इस प्रकरण में अपीलांट को विधिक तामील नही होने से सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। इस प्रकार जब प्रार्थी को उचित तामील ही नही

की गई तो इस आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट भी स्वीकार किया जाता है क्योंकि जानकारी की समयावधि भीतर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 09.08.2019 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नये सिरे से विधिक प्रकिया के अनुसार गुणावगुण के आधार पर अपना निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर